

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर।

क्रमांक :-एफ.1(8)लोसूअ/सान्याअवि/24/ 2058

जयपुर, दिनांक :- 10/10/2024

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश पत्र क्रमांक 2187 दिनांक 14.03.2024 को अतिक्रमित करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की सूचना एवं निस्तारण किये जाने के संबंध में अतिरिक्त निदेशक (विशेष पिछडा वर्ग) को विभाग का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक (विशेष पिछडा वर्ग) प्रथम अपील से संबंधित समस्त अभिलेखों का संघारण करेंगे एवं समस्त प्रथम अपीलों, प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत कराने से संबंधित कार्यवाही करेंगे।

क्रमांक :-एफ.1(8)लोसूअ/सान्याअवि/24/ 2059-2118 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- जयपुर, दिनांक :- 10/10/2024

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि मुख्यावास।
4. अतिरिक्त निदेशक (विशेष पिछडा वर्ग), सान्याअवि मुख्यावास।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.पी.), सान्याअवि मुख्यावास।
6. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि मुख्यावास।
7. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), सान्याअवि मुख्यावास को नोडल अधिकारी की आई.डी. को आर.टी.आई. पोर्टल पर मैप करने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ।
8. लोक सूचना अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त.....
9. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
11078940



Signature valid

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.10.10 16:16:53 IST
Reason: Approved